खेल एकेडमी स्थापित करने बारे शर्तें/दिशा निर्देश

1. आवासीय खेल एकेडमी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना है।
2. हरियाणा के जिस क्षेत्र में जिस खेल की प्रतिभा और खेल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्टर उपलब्ध है वहां पर ही एकेडमी स्थापित की जाएंगी।
3. क) मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक व प्रतिभागिता, तथा राज्य एवं जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का एकेडमी में चयन किया जाएगा।

   ख) डे–बोर्डिंग अकेडमी के लिए खिलाड़ियों का चयन, चयन ट्रायल, बैटरी टैस्ट, योग्यता एवं खेल उपलब्धियों के आधार पर निम्नलिखित कमेटी द्वारा किया जाएगा :–

   1. उपायुक्त एवं प्रधान, जिला खेल परिषद का प्रतिनिधि
   2. जिला खेल अधिकारी
   3. संबंधित खेल का प्रशिक्षक
   4. जिला खेल कार्यालय के दो अन्य वरिष्ठ प्रशिक्षक
   5. भारतीय खेल प्राधिकरण का एक प्रशिक्षक जहां उपलब्ध हो।

   ग) आवासीय खेल एकेडमी के लिए खिलाड़ियों का चयन, चयन ट्रायल, बैटरी टैस्ट, योग्यता एवं खेल उपलब्धियों के आधार पर निम्नलिखित कमेटी द्वारा किया जाएगा :–

   1. निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा नामित अधिकारी।
   2. जिला खेल अधिकारी
   3. संबंधित खेल का प्रशिक्षक
   4. भारतीय खेल प्राधिकरण का एक प्रशिक्षक जहां उपलब्ध हो।

   घ) खिलाड़ी चयन ट्रायल में अपने खेल उपलब्धियों के मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम फोटो तथा 10वीं का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र साथ लेकर आएंगे।

   ड) कुश्ती व बाक्सिंग में वेट कैटेगरी तथा आयुवर्ग के आधार पर चयन किया जाएगा।

   च) एक वेट कैटेगरी में दो से अधिक खिलाड़ी नहीं होंगे।

   छ) एथलैटिक्स में प्रत्येक ईवेंट व आयुवर्ग में दो खिलाड़ियों से अधिक का चयन नहीं किया जाएगा।

   ज) अन्य टीम खेलों की एकेडमी में खिलाड़ियों की संख्या टीम के प्लेईंग मेम्बर की कम से कम दो गुणा होगी।

4. एकेडमी में चयन के लिए खिलाड़ियों की आयु सीमा जिम्नास्टिक के अलावा **सभी खेलों के लिए 12 से 19 वर्ष होगी,** जबकि जिम्नास्टिक खेल में 10 से 19 वर्ष होगी। आयु के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र लागू होगा। 23 वर्ष की आयु के पश्चात खिलाड़ी को एकेडमी में नहीं रखा जाएगा।
5. एकेडमी में 25 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। एकेडमी में खिलाड़ियों की संख्या टीम गेम में 20 से कम तथा एकल गेम में 15 से कम नहीं होगी। न्यूनतम सीमा से कम खिलाड़ी होने पर एकेडमी को बंद कर दिया जाएगा।
6. एकेडमी में प्रवेश लेने वाले खिलाड़ी स्थानीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करेंगे।
7. क) आवासीय एकेडमी के खिलाड़ियों को 150/–रू0 प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से खुराक राशि दी जाएगी।

   ख) डे–बोर्डिंग के खिलाड़ियों को 80/–रू0 प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से मास में 24 दिनों का जलपान दिया जाएगा।

   ग) खिलाड़ियों को खेल वर्दी, ट्रैक सूट,, जूते व जुराबें वर्ष में एक बार दी जाएगी जिसकी कीमत 6000/–रूपये प्रति खिलाड़ी की दर से होगी।
8. एकेडमी में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा 5000/– रूपये की रिफण्डेबल सिक्योरिटी जमा करवानी अनिवार्य होगी।
9. एकेडमी के खिलाड़ियों की छुटियां मास जून में की जाएंगी। डे–बोर्डिंग खेल एकेडमी में सभी राजपत्रित अवकाश, द्वितीय शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा।
10. क) प्रत्येक खिलाड़ी का हैल्थ कार्ड होगा। प्रत्येक खिलाड़ी की कम से कम तीन महीने में स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

    ख) किसी खिलाड़ी को चिकित्सक द्वारा अनफिट घोषित किये जाने पर उसे एकेडमी से निष्कासित कर दिया जाएगा।

Joint Director, Sports

11. क) माता–पिता अथवा संरक्षक को खिलाड़ियों से महीने के प्रथम व तृतीय रविवार को जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी / वार्ड की अनुमति से प्रातः 9.00 से 10.00 बजे तक मिलने की अनुमति होगी।

ख) बाहर से मिलने आने वालों को एकेडमी में रात्रि ठहराव की अनुमति नहीं होगी।

12. खिलाडियों को निम्नलिखित निर्धारित समयानुसार प्रातः एवं सांय सुचारू रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 5.30 से 8.30 (कोई दो घण्टे) तथा सायं 4:00 से 8:00 (कोई तीन घण्टे)
- 1 अक्तुबर से 31 मार्च तक प्रातः 6:30 से 9:00 (कोई दो घण्टे) तथा सायं 3:00 से 7:00 (कोई तीन घण्टे)

13. क) खिलाडियों को किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित खेल प्रशिक्षक की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

ख) यदि कोई खिलाड़ी गलत दस्तावेजों के आधार पर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता हुआ पाया गया तो उसे तुरन्त एकेडमी से निकाल दिया जायेगा। ऐसे खिलाड़ी पर खर्च की गई राशि का 50 प्रतिशत की राशि की वसूली उसके माता–पिता / अभिभावकों से की जायेगी।

ग) खेल प्रशिक्षक की लापरवाही अथवा संलिप्तता पाये जाने पर उसके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

14. आवासीय नर्सरी में खिलाड़ी अनुशासन में रहेंगे। किसी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।

15. आवासीय एकेडमी में कुक व हैल्पर विभाग द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यदि आवश्यकतानुसार ये कर्मचारी विभाग में उपलब्ध नहीं होंगे तो विभाग की अनुमति से आउटसोर्सिंग पालिसी के पार्ट–1 के तहत नियुक्त किए जायेंगे। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति पार्ट टाईम आधार पर की जाएगी।

16. क) भोजन / जलपान का मेन्यू स्थानीय बाजार भाव तथा भोजन की पौष्टिकता को मध्यनजर रखते हुए निम्नलिखित कमेटी द्वारा किया जाएगा :–

1. जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी।
2. संबंधित खेल का प्रशिक्षक।
3. अधीक्षक / उपाधीक्षक अथवा सहायक।

ख) दिन प्रतिदिन के उपयोग के लिए खादय सामग्री व सामान की खरीद खुले बाजार से सरकारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

17. क) आवासींय एकेडमी में सभी खिलाड़ी प्रातः, दोपहर व सायं भोजन के लिए मैस में बने भोजन रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

ख) डे–बोर्डिग एकेडमी में सभी खिलाड़ी प्रातः व सायं जलपान रजिस्टर मे अपने हस्ताक्षर करेंगे।

18. जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार एकेडमी का निरीक्षण अवश्य किया जायेगा और इसकी रिपोर्ट निदेशालय में भेजी जायेगी।

19. जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी एकेडमी के समस्त प्रकार के खर्चे का उत्तरदायी होगा। खेल एकेडमी का संचालन जिला खेल अधिकारी अपने कार्यालय द्वारा करेगा।

20. आवासीय एकेडमी के हॉस्टल में बिजली, पानी व अन्य खर्चो के लिए राशि स्थिति अनुसार विभाग द्वारा दी जायेगी।

21. बिलों का भुगतान संबंधित फर्म को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

22. क) एकेडमी का रिव्यू वर्ष में दो बार फरवरी व अक्तूबर में विभाग द्वारा गठित चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा।

ख) रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी ठीक परफारमेंस नहीं दे रहा है तो उसे एकेडमी में नहीं रखा जायेगा।

ग) खिलाड़ी के रिक्त स्थान पर चयन समिति द्वारा चयन ट्रायल के माध्यम से भरा जायेगा।

23. जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी एकेडमी का वार्षिक खर्चा विवरण तथा अकेडमी के खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियों का पूर्ण विवरण मुख्यालय में भेजेंगे।

****

01.3.2019
Sunita S...